

## बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना  
(जिला भू-अर्जन कार्यालय)  
वापसी अधिसूचना

भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा- 4 के तहत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए मौजा सहदेई खुर्द थाना नं० 549 जिला वैशाली में कुल 0.75 एकड़ भूमि से संबंधित अधिसूचना संख्या 597 दिनांक 13.03.12 निर्गत किया गया था, जिसे दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 29.3.12 को एवं प्रभात खबर में दिनांक 30.03.12 को प्रकाशित किया गया था। जिला गजट संख्या 01, दिनांक 27.04.12 से जिला गजट में प्रकाशन किया गया था।

कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल हाजीपुर (अधियाची विभाग) के पत्रांक 617 दिनांक 04.04.13 के आलोक में उक्त 0.75 एकड़ अर्जनाधीन भूमि, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के तहत अर्जन से वापस किया जाता है।

### खेसरा अनुसूचि

अंश सर्वे खेसरा -13, पूर्ण सर्वे क्षेत्र सं० 14,18,19 एवं 20

खाता	खेसरा	रकवा
83	18 पूर्ण	0.20 डी०
53	19 पूर्ण	0.15 डी०
197	20 पूर्ण	0.17 डी०
48	13 पूर्ण	0.10 डी०
22	14 पूर्ण	0.13 डी०
		<b>0.75 डी०</b>

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०—

सरकार के अवर सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापंक : .....-2761/रा, दिनांक : 03-12-13

**प्रतिलिपि :** निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को आठ प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय।

**प्रतिलिपि :** आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/समाहर्ता, वैशाली/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, हाजीपुर/महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्ता  
वैशाली

सरकार के अवर सचिव,  
बिहार, पटना।